



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2026

भाद्रपद 9, 1948 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1485/वि०स०/संसदीय/68(सं)-2026

लखनऊ, 4 अगस्त, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 4 अगस्त, 2026 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसाकि राज्य सरकार इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

अधिनियम संख्या दो
सन् 1899 की
अनुसूची एक-ख का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में, अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-33 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

“33-दान की लिखत जो व्यवस्थापन (क्रमांक 58) या वसीयत या अंतरण (क्रमांक 62) का न हो	उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम बाज़ार मूल्य (सर्किल दर) के लिए हस्तान्तरण (क्रमांक-23) खंड (क) के समान शुल्क।”
---	---

उद्देश्य और कारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) (जिसे आगे “उक्त अधिनियम” कहा गया है) स्टाम्प से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान में राज्य में उक्त अधिनियम की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-33 में यथा उल्लिखित दान विलेखों पर स्टाम्प शुल्क संपत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल पर हस्तान्तरण/विक्रय विलेखों के समान प्रभाय है। अनुच्छेद-33 में पद, सम्पत्ति का “मूल्य” दान विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के आगणन हेतु उपयोग किया जाता है। यद्यपि इस ‘मूल्य’ के (अवधारण हेतु उपबंध) स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। परिणामतः बाजार मूल्य पर आधारित दान विलेखों पर कलेक्टर द्वारा अधिरोपित स्टाम्प शुल्क की कमी से सम्बंधित राज्य के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णय पारित किये गये हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-33 में आने वाले शब्द, “सम्पत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल”, को शब्द, “उक्त अधिनियम के अधीन बनायी नियमावली के अनुसार यथावधारित न्यूनतम बाजार मूल्य (सर्किल दर)” से प्रतिस्थापित कर संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 पुरःस्थापित किया जाता है।

रवीन्द्र जायसवाल
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं
पंजीयन।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

अनुसूची 1-ख

अनुच्छेद 33-दान का विलेख, जो व्यवस्थापन सम्पत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए (क्रमांक-58) या वसीयत या अंतरण हस्तान्तरण (क्रमांक-23) खण्ड (क) के समान (क्रमांक-62) का न हो शुल्क।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 252/XC-S-1-26-17S-2026
Dated Lucknow, August 31, 2026

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "BHARTEEYA STAMP (UTTAR PRADESH SANSHODHAN) Vidheyak, 2026" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 4, 2026.

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) BILL, 2026

**A
BILL**

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|--|--|
| <p>1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2026.</p> <p>(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the <i>Gazette</i>, appoint in this behalf.</p> <p>2. In the Indian Stamp Act, 1899 as amended in its application to Uttar Pradesh, for Article 33 of Schedule I-B, the following Article shall be <i>substituted</i>, namely:-</p> | <p>Short title, extent and commencement</p> <p>Amendment of Schedule I-B of Act No. II of 1899</p> |
|--|--|

“33. Gift-Instrument of, not being a settlement (No. 58) or will or transfer (No. 62)	The same duty as a conveyance (No. 23) clause (a) for a minimum market value (Circle Rate) determined in accordance with the rules made under the said Act.”
--	---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to consolidate and amend the law relating to stamps.

Currently, in the State, stamp duty on gift deeds, as mentioned in Article 33 of Schedule I-B of the said Act, is chargeable on the consideration equal to the value of the property, at the same duty as on a Conveyance/Sale Deeds. In Article 33, the term "Value" of the Property is used for the calculation of stamp duty on gift deeds. However the provision for determining this "Value" has not been clearly defined. Consequently, several judgments have been passed by the Hon'ble High Court against the State regarding the deficiency of stamp duty imposed by Collectors on Gift Deeds based on market value.

In view of the above, it has been decided to amend Article 33 of Schedule I-B of the said Act by substituting the words "consideration equal to the value of the property" occurring therein with the words "minimum market value (circle rate) as determined in accordance with the rules made under the said Act."

The Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2026 is introduced accordingly.

RAVINDRA JAISWAL
Rajya Mantri (Swatantra Prabhar),
Stamp, Nyayalay Shulk evam Panjiyan

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.